उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 15 /ऋण–लक्ष्य/2022–23 दिनांक– 27-06-2022

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2022–23 के शाखावार/मण्डलवार ऋण वितरण लक्ष्य।

बैंक के परिपत्र सं0 सी–01/ऋण–लक्ष्य/2022–23 दिनांक 04.04.22 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम त्रैमास हेतु शाखावार/मण्डलवार ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के शाखावार संतुलन पत्र अंतिम रूप से तैयार होने एवं बैंक प्रबन्ध समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू0 600.00 करोड (एन0बी0सी0एफ0डी0सी0 एवं अन्य संस्थाओं की योजनाओ को सम्मिलित करते हुए) शाखावार एवं मण्डलवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शाखावार निर्धारित लक्ष्यों में प्रति शाखा न्यूनतम रू0 80.00 लाख तथा अधिकतम रू0 300.00 लाख निर्धारित करते हुए शाखाओं का माहवार/क्रमिक वार्षिक ऋण वितरण लक्ष्य शाखा की आउटस्टैण्डिग व वसूली मानक के आधार पर निर्धारित किया गया है। शाखा के निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिये जाते हैः–

1. बैंक में संचालित योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु कृषकवार धनमांग बैक पोर्टल के माध्यम से की जाएं, जिसे क्षेत्रीय प्रबन्धक के अनुमोदनोपरान्त ही धनमांग का संकलन शाखावार प्रस्तुत किया जायेगा, तद्पश्चात् ही शाखाओ को धनप्रेषित की जायेगी।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त धनमांग को अनुमोदन करने से पूर्व यह अवश्य ध्यान रखे कि बैंक पोर्टल पर किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी न हो। साथ ही लक्ष्य से अधिक धनमॉग न की गयी हो। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा।
3. शाखाओ द्वारा ऋण वितरण के कुल निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही पत्रावलियॉ तैयार कराकर बैंक पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे शाखा द्वारा ऋण लाभार्थियो को द्वितीय/अन्तिम किश्त के भुगतान हेतु कोई कठिनाई न हो सके।
4. शाखा के निर्धारित ऋण वितरण के लक्ष्यों को अपने अधीनस्थ स्टाफ में आवंटित करते हुए निर्देशित कर दिया जाए कि ऋण वितरण लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जाए।

क्रमशः 2

5. शाखा के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों से अधिक जिन शाखाओं में आवश्यकता होती है, तो ऐसी शाखाएं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धको के माध्यम से वितरित हुए ऋणों की समीक्षा करते हुए आख्या सहित प्रस्ताव प्रेषित किये जाएं।

6 शाखा प्रबन्धक अपने स्तर से यह अवश्य सुनिश्चित करेगें कि शाखा द्वारा सामान्य योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र की योजनाओं में एक उद्देश्य में वार्षिक लक्ष्य का 25 प्रतिशत एवं अकृषि क्षेत्र की योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत तथा अकृषि क्षेत्र की किसी एक योजना में 25 प्रतिशत से अधिक ऋण वितरण कदापि न किया जाए।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शाखाओं पर ऋण वितरण का कार्य पूर्णतः पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता एवं शत्–प्रतिशत सदुपयोगिता सुनिश्चित करते हुए किया जाए। यह भी विशेष ध्यान रखा जाए कि शाखा द्वारा जो भी ऋण वितरण किया जाए वह कदापि एन0पी0ए0 की श्रेणी में न आये।

संलग्नकः–यथोपरि।

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल की शाखाओं में ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र, लखनऊ।
5. समस्त नोडल अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र, लखनऊ।
6. समस्त सहायक आयुक्त एव जिला सहायक निबन्धक सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव(सभापति महोदय), उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय,लखनऊ को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक